

कार्यालय-जिलाधिकारी भदोही।

पत्रांक- C-292 दि०जन०स०वि०/दि० पेंशन/आ० फार्म/2018-19

दिनांक- 18/09/2018

1. समस्त उपजिलाधिकारी.....
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी.....
3. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका.....

विषय:- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र को ऑन लाइन फार्म भरवाने के संबंध में।

कृपया जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या-133/एस०टी०/2018-19/ दिनांक 28 अगस्त, 2018 एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय कार्यालय के पत्र सं०-135/एस०टी०/2018-19 दिनांक-05.09.2018 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पात्र वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराये जाने एवं वेबसाइट पर डाटा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के क्रम में दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत सर्वे सर्वेक्षित ऑकड़ों का पुनर्परीक्षण/सत्यापन तथा वास्तविक रूप से पात्र पाये गये लाभार्थियों की फीडिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। जिसका सत्यापन,फीडिंग प्रकाशन एवं अंत में एन०आई०सी० के वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त सर्वेक्षित ऑकड़ों को विभागीय वेबसाइट/तथा जनपद भदोही के एन०आई०सी० के वेबसाइट पर सूची अपलोड किया जाना है। जिसमें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा 01 योजनाओं के अन्तर्गत छूटे एवं पात्र/लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु सर्वे के उपरान्त फीडिंग एवं अन्य कार्यवाही के संबंध में एजेण्डा का विवरण।

1	विकास खण्ड/नगर पंचायत/नगर पालिका का नाम द्वारा प्राप्त फार्मों का विवरण	सर्वे में प्राप्त कुल फार्मों की संख्या	सर्वे के उपरान्त प्राप्त फार्मों के फीडिंग की प्रगति रिपोर्ट	वास्तविक रूप से पात्र पाये गये लाभार्थियों की संख्या
1	भदोही	659	659	62
2	औराई	493	493	141
3	डीध	696	696	223
4	ज्ञानपुर	448	448	184
5	सुरियावाँ	324	324	144
6	अमोली	234	234	69
7	घोसिया	29	29	21
8	खमारियाँ	52	52	24
9	नई बाजार	45	45	25
10	सुरियावाँ	40	40	23
11	भदोही	81	81	50
12	ज्ञानपुर	28	28	20
13	गांधीगंज	78	78	48
	योग	3207	3207	1034
क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	सर्वेक्षण में चिन्हित पात्र एवं छूटे हुए/वंचित लाभार्थियों की कुल सं०		
1	दिव्यांग पेंशन	ग्रामीण	शहरी	योग
1		823	211	1034

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर अंकित विवरण क अनुसार संलग्नक प्रारूप पर सर्वे कराते हुए ग्रामवार एवं लाभार्थीवार ऑकड़े संकलित कर पात्र दिव्यांग लाभार्थियों के समस्त अभिलेख जैसे रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो,आयु सम्बन्धी प्रामाण्य पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र,आधार कार्ड,मोबाईल नम्बर,परिवार रजिस्टर नम्बर तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय भदोही में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि दशा में यदि प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा या मा०मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। सूचना महत्वपूर्ण है।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
जिलाधिकारी  
भदोही

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, भदोही को सूचनार्थ।
3. उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
4. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी भदोही को इस आदेश के साथ प्रेषित है कि प्राप्त आवेदन फार्म को तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी को इस आदेश के साथ पत्र प्रेषित है कि एन०आई०सी० के वेबसाइट पर सूचना अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी  
भदोही

कार्यालय-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, भदोही


प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से छूटे हुए/वंचित लाभार्थियों के सर्वेक्षण कार्य प्रगति विवरण।


जनपद-भदोही

योजना का नाम-दिव्यांग पेंशन


क.स.	कार्यक्रम का नाम	सर्वेक्षण में चिन्हित पात्र एवं छूटे हुए/वंचित लाभार्थियों की कुल सं०		
		ग्रामीण	शहरी	योग
1	दिव्यांग पेंशन	823	211	1034

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वेक्षणोंरान्त उपरोक्तानुसार कुल 1034 लाभार्थी चिन्हित किए गए है।

  
राज कुमार  
क०सहा०  
भदोही

  
(अजय कुमार सिंह )  
जि०दि०जन०सश०अ०  
भदोही।

  
(हरशंकर सिंह)  
मुख्य विकास अधिकारी  
भदोही।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
जिलाधिकारी  
भदोही।

